प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क ईस्ट९ भोपाल 462011
फोन न.— .+91-755-2578801-02-03-04, Fax:.+91-755-2550498,
E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.peb.mp.gov.in

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल के रिक्त पदों की भर्ती परीक्षा-2018
(मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य)

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र			
भरने की प्रारम्भ तिथि	: 26-03-2018	भरने की अंतिम तिथि	: 09-04-2018
आवेदन पत्र मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	: 26-03-2018	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि	: 14-04-2018
परीक्षा दिनांक व दिन		05-05-2018 **एवं** 06-05-2018 **शनिवार, रविवार**	
परीक्षा शुल्क			
सीधी भर्ती/ संविदा पदो हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये		रू. 500/- (प्रति प्रश्न पत्र)
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)		रू. 250/- (प्रति प्रश्न पत्र)
ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 70/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 40/- रू. देय होगा ।			

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	**परीक्षा की पाली**	**अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय**	**महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय**	**उत्तर अंकित का समय**
05-05-2018 **एवं** 06-05-2018	**पोस्ट कोड 01, 03, 05 एवं 06 हेतु**	**प्रात:** 07:00 **से 8:00 बजे तक**	08:50 **से** 09:00 **बजे तक** (10 **मिनट**)	**प्रात:** 09:00 **से** 11:00 **बजे तक** (2:00 **घंटे**)
	पोस्ट कोड 02 एवं 04 हेतु	**दोपहर 12:00 से 1:00 बजे तक**	01:50 **से** 02:00 **बजे तक** (10 **मिनट**)	**अपरान्ह** 02:00 **से** 04:00 **बजे तक** (2:00 **घंटे**)

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी के लिये मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।
2. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है । यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।
3. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा ।
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान आधार इनेबल्ड बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय के 1 घन्टे तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
6. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
7. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
8. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है
9. उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।
10. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमति नहीं होगी ।
11. विभाग के पद पर भर्ती हेतु आदिम जनजाति, (बैगा, सहारिया एवं भारिया) के अभ्यार्थयों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं रखा गया है, अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आनलाईन आवेदन करें। (ऐसी स्थित में नियम पुस्तिका की बैगा,सहारिया एवं भारिया से संबंधित सभी कण्डिकायें विलोपित मान्य होगी ।)

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, म0प्र0
चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011
फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498
ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.peb.mp.gov.in

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल के रिक्त पदों की भर्ती परीक्षा-2018

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल के रिक्त पदों की भर्ती परीक्षा-2018	**03-17**
2.	2	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	**18-38**
3	3	परीक्षा का पाठ्यक्रम	**39**
4.	**प्रारूप-1**	प्रश्नों/आदर्श उत्तरो पर आपप्ति हेतु अभ्यावेदन	**40**
5	**प्रारूप-2**	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	**41**
6	**प्रारूप-3**	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	**42**

अध्याय - 01

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विभागीय नियम

1.1 **सामान्य** :-

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल, **के पत्र** क्र. स्था.वि. 10285/2018 भोपाल दिनांक 25.01.2018 **एवं स्था. वि. 10696 दिनांक 08/02/2018 के अनुसार तृतिय श्रेणी** के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती परीक्षा-2018 **के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों पर यह नियम लागू होंगे।**

1.2 **परिभाषायें** :-

(अ) **इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित**, **अनुसूचित जाति**, **अनुसूचित जनजाति**, **अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।**

(**ब**) "**विभाग**" **से अभिप्रेत है** - मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित , भोपाल

(**स**) "**प्रथम चरण**" **से अभिप्रेत है -मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा।**

(**द**) "**मण्डल**" **से तात्पर्य मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोड**, **भोपाल से है।**

(**ई**) "**म.प्र.**" **से तात्पर्य मध्यप्रदेश है।**

1.3 पदनाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक योग्यता :-

उप प्रबंधक, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, सहायक प्रबंधक, क्षेत्र सहायक एंव क्षेत्र सहायक (संविदा) के रिक्त पदों हेतु प्राप्त आवेदनों के संबंध में शैक्षणिक अर्हता, कार्यानुभव, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 एंव खेलकूद के लिए संघ के सेवा नियमानुसार पदों के साथ अंकित आधारों पर प्रवीण्यता सूची तैयार करने का प्रावधान है।

पदो का विवरण (आरक्षण तालिका)

पोस्ट कोड-01 सीधी भर्ती – उप प्रबंधक - कुल 20 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	08	03	-	-	11	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	01	-	-	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	-	-	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	01	-	-	03	
	योग	14	06	-	-	20	

वेतनमान - 9300-34800+4200 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता – (i) कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य संकाय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक से स्नातक उत्तीर्ण तथा वित्त/ विपणन/मानव संसाधन में एम.बी.ए. अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मेंनेजमेंट ।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में निपुणता संबंधी प्रमाण पत्र ।

क्र0	परीक्षा	परीक्षा में प्राप्त अंको के लिए निर्धारित अधिकतम अंक
1	स्नातक (वाणिज्य, कृषि, कला और विज्ञान)	55 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक 2 प्रतिशत अंक पर एक अंक, अधिकतम 22.5 अंक
2	एम0बी0ए0/ पी0जी0डी0बी0एम0	50 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक 2 प्रतिशत अंक पर एक अंक, अधिकतम 25 अंक
नोट: उप प्रबंधक पद में अंको की गणना अंतर्गत क्रमशः स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण के साथ ही एम.बी.ए. अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मेंनेजमेंट के अंको को पृथक-पृथक जोड़ा जाना है ।		

कार्यानुभव

1- कार्यानुभव हेतु अधिकतम 15 अंक अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर :-

(i) विपणन संघ में कार्य करने का अनुभव -प्रत्येक एक वर्ष अनुभव का 1 अंक अधिकतम 10 अंक दिया जायेगा।

(ii) केन्द्र/ राज्य शासन/उनके उपक्रमों/सहकारी संस्थाओं का कार्यनुभव- प्रत्येक एक वर्ष अनुभव का 1 अंक अधिकतम 5 अंक दिया जायेगा।

नोट: 1 वर्ष से कम अनुभव के कोई अंक देय नहीं होगा| अनुभव की गणना पूर्ण वर्ष के आधार पर किया जाना है |

2-

एन.सी.सी. “सी”/एन.एस.एस. एंव खेलकूद हेतु निर्धारित अंक	**कुल 10 अंक**
एन.सी.सी. “**सी**” प्रमाण-पत्र पर	2 अंक
एन.एस.एस.- (राष्ट्रीय स्तर के कैंप में भाग लेने पर)	2 अंक
खेलकूद -	6 अंक
राज्य स्तरीय	1 अंक
राष्ट्रीय स्तर	2 अंक
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर	3 अंक
• प्रमाण पत्र के ब्यौरो में केवल भारत सरकार एवं म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा जारी प्रमाण पत्र का ही उल्लेख किया जावे ।	

3- विभागीय स्तर पर साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक - 25 अंक

नोट:- उक्त पद के लिये द्वितीय चरण का कार्य (दस्तावेजो की जांच, बोनस अंक प्रदान करने एवं साक्षात्कार लेने का कार्य) संबंधित विभागीय स्तर पर किया जावेगा ।

पोस्ट कोड- 02 सीधी भर्ती – लेखाअधिकारी - कुल 08 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	-	-	04	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	-	-	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	-	-	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	-	-	02	
	योग	06	02	-	-	08	

वेतनमान - 9300-34800+4200 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता – (i) कामर्स स्नातक, (उच्च द्वितीय श्रेणी 55 प्रतिशत प्राप्तांक) अथवा एम.काम.

(ii) लेखाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए सी.ए. योग्यता वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी ,

(iii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में निपुणता संबंधी प्रमाण पत्र ।

क्र0	परीक्षा	परीक्षा में प्राप्त अंको के लिए निर्धारित अधिकतम अंक
1	कार्मस स्नातक (द्वितीय श्रेणी) 55 प्रतिशत न्यूनतम	55 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक 2 प्रतिशत अंक पर एक अंक, अधिकतम 22.5 अंक
2	एम.काम.	36 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक 2 प्रतिशत अंक पर एक अंक, अधिकतम 32 अंक
नोट:- लेखा अधिकारी पद श्रेणी में बी.काम. अथवा एम.काम. दोनो में से अधिकतम प्राप्त अंकों को गणना में लिया जावेगा ।		

कार्यानुभव

2- कार्यानुभव हेतु अधिकतम 15 अंक अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर :-

(i) विपणन संघ में कार्य करने का अनुभव -प्रत्येक एक वर्ष अनुभव का 1 अंक अधिकतम 10 अंक दिया जायेगा।

(ii) केन्द्र/ राज्य शासन/उनके उपक्रमों/सहकारी संस्थाओं का कार्यनुभव- प्रत्येक एक वर्ष अनुभव का 1 अंक अधिकतम 5 अंक दिया जायेगा।

नोट: 1 वर्ष से कम अनुभव के कोई अंक देय नहीं होगा| अनुभव की गणना पूर्ण वर्ष के आधार पर किया जाना है |

2-

एन.सी.सी. "सी"/एन.एस.एस. एंव खेलकूद हेतु निर्धारित अंक	**कुल 10 अंक**
एन.सी.सी. **"सी"** प्रमाण-पत्र पर	2 अंक
एन.एस.एस.- (राष्ट्रीय स्तर के कैंप में भाग लेने पर)	2 अंक
खेलकूद -	6 अंक
राज्य स्तरीय	1 अंक
राष्ट्रीय स्तर	2 अंक
अर्न्तराष्ट्रीय स्तर	3 अंक
• प्रमाण पत्र के ब्यौरो में केवल भारत सरकार एवं म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा जारी प्रमाण पत्र का ही उल्लेख किया जावे ।	

3- विभागीय स्तर पर साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक - 25 अंक

नोट:- उक्त पद के लिये द्वितीय चरण का कार्य (दस्तावेजो की जांच, बोनस अंक प्रदान करने एवं साक्षात्कार लेने का कार्य) संबंधित विभागीय स्तर पर किया जावेगा ।

पोस्ट कोड- 03 सीधी भर्ती – सहायक प्रबंधक - कुल 12 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	-	-	02	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	-	-	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	02	-	-	05	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	01	-	-	03	
	योग	07	05	-	-	12	

वेतनमान - 9300-34800+3200 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता –(i) वाणिज्य, कृषि, विज्ञान, अभियांत्रिकी, विधि संकाय में स्नातक उपाधि 50 प्रतिशत अंकों सहित, तथा, एम.बी.ए./पी.जी.डी.बी.एम. उत्तीर्ण अथवा दो वर्ष का व्यवसायिक अनुभव ।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में निपुणता संबंधी प्रमाण पत्र ।

क्र0	परीक्षा	परीक्षा में प्राप्त अंको के लिए निर्धारित अधिकतम अंक
1	स्नातक (वाणिज्य, कृषि, विज्ञान, अभियांत्रिकी और विधि संकाय)	50 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक 2 प्रतिशत अंक पर एक अंक, अधिकतम 25 अंक
2	एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0	50 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक 2 प्रतिशत अंक पर एक अंक, अधिकतम 25 अंक
नोट: सहायक प्रबंधक पद में अंको की गणना अंतर्गत क्रमशः स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण के साथ ही एम.बी.ए. अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मेंनेजमेंट के अंको को पृथक-पृथक जोड़ा जाना है			

कार्यानुभव

4- कार्यानुभव हेतु अधिकतम 15 अंक अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर :-

(i) विपणन संघ में कार्य करने का अनुभव -प्रत्येक एक वर्ष अनुभव का 1 अंक अधिकतम 10 अंक दिया जायेगा।

(ii) केन्द्र/ राज्य शासन/उनके उपक्रमों/सहकारी संस्थाओं का कार्यनुभव- प्रत्येक एक वर्ष अनुभव का 1 अंक अधिकतम 5 अंक दिया जायेगा।

नोट: 1 वर्ष से कम अनुभव के कोई अंक देय नहीं होगा| अनुभव की गणना पूर्ण वर्ष के आधार पर किया जाना है |

2-

एन.सी.सी. "सी"/एन.एस.एस. एंव खेलकूद हेतु निर्धारित अंक	**कुल 10 अंक**
एन.सी.सी. "**सी**" प्रमाण-पत्र पर	2 अंक
एन.एस.एस.- (राष्ट्रीय स्तर के कैंप में भाग लेने पर)	2 अंक
खेलकूद -	6 अंक
राज्य स्तरीय	1 अंक
राष्ट्रीय स्तर	2 अंक
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर	3 अंक
• प्रमाण पत्र के ब्यौरो में केवल भारत सरकार एवं म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा जारी प्रमाण पत्र का ही उल्लेख किया जावे ।	

नोट:- उक्त पद के लिये द्वितीय चरण का कार्य (दस्तावेजो की जांच एवं बोनस अंक प्रदान करने का कार्य) संबंधित विभागीय स्तर पर किया जावेगा ।

पोस्ट कोड- 04 सीधी भर्ती – सहायक लेखाअधिकारी - कुल 64 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	25	11	-	-	36	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	06	02	-	-	08	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	09	04	-	-	13	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	05	02	-	-	07	
	योग	45	19	-	-	64	

वेतनमान - 9300-34800+3200 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता – (i) कामर्स स्नातक, (द्वितीय श्रेणी)

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में निपुणता संबंधी प्रमाण पत्र ।

क्र0	परीक्षा	परीक्षा में प्राप्त अंको के लिए निर्धारित अधिकतम अंक
1	कामर्स स्नातक (द्वितीय श्रेणी) 45 प्रतिशत न्यूनतम	45 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक 2 प्रतिशत अंक पर एक अंक, अधिकतम 27.5 अंक

कार्यानुभव

1- कार्यानुभव हेतु अधिकतम 15 अंक अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर :-

(i) विपणन संघ में कार्य करने का अनुभव -प्रत्येक एक वर्ष अनुभव का 1 अंक अधिकतम 10 अंक दिया जायेगा।

(ii) केन्द्र/ राज्य शासन/उनके उपक्रमों/सहकारी संस्थाओं का कार्यनुभव- प्रत्येक एक वर्ष अनुभव का 1 अंक अधिकतम 5 अंक दिया जायेगा।

नोट: 1 वर्ष से कम अनुभव के कोई अंक देय नहीं होगा| अनुभव की गणना पूर्ण वर्ष के आधार पर किया जाना है |

2-

एन.सी.सी. "सी"/एन.एस.एस. एंव खेलकूद हेतु निर्धारित अंक	**कुल 10 अंक**
एन.सी.सी. **"सी"** प्रमाण-पत्र पर	2 अंक
एन.एस.एस.- (राष्ट्रीय स्तर के कैंप में भाग लेने पर)	2 अंक
खेलकूद -	6 अंक
राज्य स्तरीय	1 अंक
राष्ट्रीय स्तर	2 अंक
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर	3 अंक
• प्रमाण पत्र के ब्यौरो में केवल भारत सरकार एवं म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा जारी प्रमाण पत्र का ही उल्लेख किया जावे ।	

नोट:- उक्त पद के लिये द्वितीय चरण का कार्य (दस्तावेजो की जांच एवं बोनस अंक प्रदान करने एवं का कार्य) संबंधित विभागीय स्तर पर किया जावेगा ।

पोस्ट कोड- 05 सीधी भर्ती – क्षेत्र सहायक - कुल 68 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	23	10	-	-	33	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	08	03	-	-	11	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	10	04	-	-	14	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	07	03	-	-	10	
	योग	48	20	-	-	68	

वेतनमान - 5200-20200+1900 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता – (i) स्नातक, (द्वितीय श्रेणी) बी.एस.सी. सांईस, बी.एस.सी. कृषि, बी.सी.ए. , बी.ई./बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी), बी.काम., बी.ए. (न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्ताकों से उत्तीर्ण) ।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पी.जी.डी.सी.ए. अथवा डी.सी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण ।

क्र0	परीक्षा	परीक्षा में प्राप्त अंको के लिए निर्धारित अधिकतम अंक
1	बी0एस0सी0 सांईस, बी0एस0सी0 कृषि, बी0सी0ए0, बी0ई0/बी0टेक (कृषि अभियांत्रिकी), बी0काम0,बी0ए0 न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक	50 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक 2 प्रतिशत अंक पर एक अंक, अधिकतम 25 अंक

कार्यानुभव

1- कार्यानुभव हेतु अधिकतम 15 अंक अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर :-

(i) विपणन संघ में कार्य करने का अनुभव -प्रत्येक एक वर्ष अनुभव का 1 अंक अधिकतम 10 अंक दिया जायेगा।

(ii) केन्द्र/ राज्य शासन/उनके उपक्रमों/सहकारी संस्थाओं का कार्यनुभव- प्रत्येक एक वर्ष अनुभव का 1 अंक अधिकतम 5 अंक दिया जायेगा।

नोट: 1 वर्ष से कम अनुभव के कोई अंक देय नहीं होगा| अनुभव की गणना पूर्ण वर्ष के आधार पर किया जाना है |

2-

एन.सी.सी. "सी"/एन.एस.एस. एंव खेलकूद हेतु निर्धारित अंक	**कुल 10 अंक**
एन.सी.सी. "**सी**" प्रमाण-पत्र पर	2 अंक
एन.एस.एस.- (राष्ट्रीय स्तर के कैंप में भाग लेने पर)	2 अंक
खेलकूद -	6 अंक
राज्य स्तरीय	1 अंक
राष्ट्रीय स्तर	2 अंक
अर्न्तराष्ट्रीय स्तर	3 अंक
• प्रमाण पत्र के ब्यौरो में केवल भारत सरकार एवं म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा जारी प्रमाण पत्र का ही उल्लेख किया जावे ।	

नोट:- उक्त पद के लिये द्वितीय चरण का कार्य (दस्तावेजो की जांच एवं बोनस अंक प्रदान करने एवं का कार्य) संबंधित विभागीय स्तर पर किया जावेगा ।

पोस्ट कोड- 06 संविदा भर्ती – क्षेत्र सहायक(संविदा) - कुल 12 पद (अकार्यपालिक)

<table>
<tr><th rowspan="2">सक्र.</th><th rowspan="2">श्रेणी</th><th colspan="2">बिना वर्ग</th><th colspan="2">भूतपूर्व सैनिक</th><th rowspan="2">योग</th><th>दिव्यांग</th></tr>
<tr><th>ओपन</th><th>महिला</th><th>ओपन</th><th>महिला</th><th></th></tr>
<tr><td>1.</td><td>अनारक्षित (UR)</td><td>08</td><td>03</td><td>-</td><td>-</td><td>11</td><td rowspan="5">निरंक</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अनुसूचित जाति (SC)</td><td>00</td><td>00</td><td>-</td><td>-</td><td>00</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>अनुसूचित जनजाति (ST)</td><td>00</td><td>00</td><td>-</td><td>-</td><td>00</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)</td><td>01</td><td>00</td><td>-</td><td>-</td><td>01</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>09</td><td>03</td><td>-</td><td>-</td><td>12</td></tr>
</table>

वेतनमान – 11000/- प्रतिमाह निश्चित वेतन

शैक्षणिक योग्यता – (i) स्नातक, द्वितीय श्रेणी (बी.एस.सी. सांईस, बी.एस.सी. कृषि, बी.सी.ए., बी.ई./बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी), बी.काम., बी.ए.), न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांकों से उत्तीर्ण ।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पी.जी.डी.सी.ए. अथवा डी.सी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण ।

क्र0	परीक्षा	परीक्षा में प्राप्त अंको के लिए निर्धारित अधिकतम अंक
1	बी0एस0सी0 साईसं, बी0एस0सी0 कृषि, बी0सी0ए0, बी0ई0/बी0टेक (कृषि अभियांत्रिकी) बी0काम0, बी0ए0	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अंको पर 45 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक 2 प्रतिशत अंक पर 1 अंक, अधिकतम 27.5 अंक

कार्यानुभव

2- कार्यानुभव हेतु अधिकतम 15 अंक अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर :-

(i) विपणन संघ में कार्य करने का अनुभव -प्रत्येक एक वर्ष अनुभव का 1 अंक अधिकतम 10 अंक दिया जायेगा।

(ii) केन्द्र/ राज्य शासन/उनके उपक्रमों/सहकारी संस्थाओं का कार्यनुभव- प्रत्येक एक वर्ष अनुभव का 1 अंक अधिकतम 5 अंक दिया जायेगा।

नोट: 1 वर्ष से कम अनुभव के कोई अंक देय नहीं होगा| अनुभव की गणना पूर्ण वर्ष के आधार पर किया जाना है |

2-

एन.सी.सी. "सी"/एन.एस.एस. एंव खेलकूद हेतु निर्धारित अंक	**कुल 10 अंक**
एन.सी.सी. "**सी**" प्रमाण-पत्र पर	2 अंक
एन.एस.एस.- (राष्ट्रीय स्तर के कैंप में भाग लेने पर)	2 अंक
खेलकूद -	6 अंक
राज्य स्तरीय	1 अंक
राष्ट्रीय स्तर	2 अंक
अर्न्तराष्ट्रीय स्तर	3 अंक
• प्रमाण पत्र के ब्यौरो में केवल भारत सरकार एवं म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा जारी प्रमाण पत्र का ही उल्लेख किया जावे ।	

नोट:- उक्त पद के लिये द्वितीय चरण का कार्य (दस्तावेजो की जांच एवं बोनस अंक प्रदान करने एवं का कार्य) संबंधित विभागीय स्तर पर किया जावेगा ।

सेवा नियम कंडिका -11

सीधी भर्ती द्‌वारा नियुक्ति -:

अ भारत का नागरिक होना चाहिये तथा मध्यप्रदेश का वास्तविक (मूल) निवासी हो ।

ब शासकीय आवेदक को शारीरिक रूप से पुष्ट होना चाहिये एवं उसके पास ऐसे शासकीय चिकित्सक का शारीरिक पुष्टता प्रामाण-पत्र होना चाहिए जो तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लिए असिस्टेंट सर्जन एवं द्‌वितीय या उससे ऊपर श्रेणी के लिये जिला मेडिकल बोर्ड से नीचे के स्तर का न हो ।

स आवेदक का चरित्र एवं पूर्व इतिहास अच्छा व निष्कलंक होना चाहिए।

द नियुक्ति प्राधिकारी द्‌वारा प्रत्येक पद के लिए सीधी भर्ती के सोपान में निर्धारित योग्यता अनुसार भरती की जावेगी एंव अधिकतम आयु का निर्धारण, नियुक्ति प्राधिकारी द्‌वारा किया जावेगा। आयु की गणना उस वर्ष की 1 जुलाई की स्थिति में की जावेगी।

प्रथम, द्‌वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए चयन सेवानियम 8 के अन्तर्गत नियुक्ति प्राधिकारी द्‌वारा गठित समिति द्‌वारा किया जावेगा।

सीधी भरती की नियुक्ति या तो परिवीक्षाधीन या अस्थायी रूप से रहेगी। परिवीक्षा अवधि सामान्य दो वर्ष की होगी किन्तु प्रशासकीय समिति तकनीकी एवं विशेष उच्च पदो के लिए परिवीक्षा की अवधि में कमी या वृद्धि कर सकती है परन्तु यह अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के पश्चात परिवीक्षा अवधि में अधिकतम एक वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। उसके पश्चात संतोषप्रद सेवा नहीं होने पर संबंधित को नोटिस देकर उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।

जिस अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति किसी विशेष कार्य या योजना के तहत निश्चित अवधि के लिए की जाती है, उसकी नियुक्ति कार्य विशेष योजना की पूर्णता के लिए नियत निश्चित अवधि के लिए होगी ।

यदि संघ में उक्त पद की आवश्यकता नहीं है तो ऐसी स्थिति में ऐसे अधिकारी /कर्मचारी को नियमानुसार सूचना देकर सेवा से पृथक कर दिया जावेगा ।

र लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार (लागू होने पर) द्‌वारा चयन सूची तैयार की जावेगी। चयन सूची तैयार करने में निम्नानुसार अंक निर्धारित होगें -:

(1) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की परीक्षा में प्राप्तांकों 2 प्रतिशत अंकों को 1 अंक देते हुए अधिकतम 50 अंक।

(2) एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/खेलकूद आदि हेतु 10 अंक ।

(3) संघ एवं संघ के बाहर के कार्यानुभव हेतु अधिकतम 15 अंक अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर।

(4) यदि लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसके लिए 100 अंक निर्धारित है।

गैर कार्यपालिक तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया में व्यक्तिगत साक्षात्कार की प्रक्रिया का पालन नही होगा। (आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक के आदेश क्र. विपणन/.संघ.विप/2016 भोपाल दिनांक 30-5-2016)

(5) नियुक्ति प्राधिकारी, साक्षात्कार के समय आवश्यकतानुसार चयन समिति में तकनीकी पदों के चयन हेतु विषय विशेषज्ञ को भी सहयोजित कर सकेगें और ऐसी स्थिति में चयन समिति के सभी सदस्यों में बराबरबराबर अंक विभाजित - होगें।

इस प्रकार यथास्थित कंडिका 11 (र) 1 से 5 तक प्राप्त अंको के आधार पर सूची बनाई जाएगी तथा एक पद के विरुद्व 5 अभ्यर्थियों को साक्षात्कर हेतु वरियता अनुसार आमंत्रित किया जावेगा।

किन्तु सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति, विशिष्ट परिस्थितियों में संघ के सेवायुक्तों से किये जाने की स्थिति में समस्त अर्हताधारी सेवायुक्तों को साक्षात्कार हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आमंत्रित किया जावेगा। साक्षात्कार के उपरांत कुल प्राप्तांक(शैक्षणिक योग्यता व अनुभव एवं साक्षात्कार अंक तथा यदि लिखित परीक्षा हुई तो उसके प्राप्तांक को भी महायोग में शामिल करते हुए) प्रावीण्यता के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी ।

(6) विभाग के पत्र स्था.वि.10696/2018 **भोपाल**, **दिनांक 08/02/2018 अनुसार संघ के सेवानियम की कंडिका 8(ब) अनुसार मात्र विकलांग के लिये संघ में नियुक्ति के लिये आरक्षण लिपिक श्रेणी के पदों में तीन प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगें। सैनिकों के लिए संघ के सेवा नियम में आरक्षण का प्रावधान नही है । संघ द्वारा विज्ञप्ति में प्रेषित पदों में कोई भी पद लिपिक श्रेणी का नही है ।**

साक्षात्कार के उपरान्त कुल प्राप्तांक के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी।

नोट:- विभाग के नियमानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/विकलांग आदि के लिऐ न्यूनतम योग्यता(अर्हता) के अंको में छूट का प्रावधान नही होगा ।

1.4 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :-

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो :-

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, तथा मध्यप्रदेश का वास्तविक (मूल) निवासी हो । या

(ख) आवेदक को सिक्किम की प्रजा होना चाहिये, या

(ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या

(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये।

टिप्पणी :-

1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण-पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बल जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण-पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।

   (i) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।

   (ii) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।

   (iii) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में है।

2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

1.5 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-

(i) **अभ्यर्थी** की आयु सीमा की गणना **01 जुलाई 2017** को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 एव **पत्र क्र./सी**.3-11/2012/3 **भोपाल दिनांक** 13 **जनवरी** 2016, में संशोधित आदेश क्र; सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है :-

1.

क्र.	भर्ती का तरीका	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए
		न्यूनतम/ अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदो के लिए	**18 से 25**

2. मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु-सीमा में अधिकतम छूट :-

1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	25 + 15 = 40
2	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	25 + 20 = 45
3	पुरुष/महिला आवेदक (शासकीय /निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	25 + 20 = 45
4	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग)	25 + 20 = 45
5	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय /निगम/ मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	25 + 20 = 45
6	नि:शक्तजन आवेदकों के लिए	25 + 20 = 45

3. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।

1.5.2 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :-

(**क**) आदिम जाति, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन **योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी**-3-10-85-3-1, **दिनांक** 29.06.1985 **के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट दी जावेगी।**

(**ख**) **विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी**-3-18- 85-3-1, **दि.** 03.09.1985 **के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में** 05 **वर्ष की छूट दी जावेगी।**

1.5.3 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

(**क**) **ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्तें कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।**

(**ख**) **ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से**

अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्तें कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 **वर्ष से अधिक न हो ।**

(ग) **सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक** 50-2532-(3) 80 **दिनांक** 12.02.1981 **एवं क्रमांक एफ** 8-1/06/आ0प्र0/एक **दिनांक** 12.06.2006 **द्वारा सेवा योग्य नि:शक्तजनों को (न्यूनतम** 40 **प्रतिशत नि:शक्तता वाले शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति) निर्धारित आयु सीमा में** 10 **वर्ष की छूट प्रदान की गई है।**

<u>**स्पष्टीकरण**</u> :- **शब्द ''छटनी'' किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छ: माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था ।**

टीप- (1) **उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।**

(2) यदि कोई आवेदक **प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से** निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा **45** वर्ष से अधिक नही होगी।

1.6 चयन का आधार :-

विभाग के पदों पर चयन हेतु मध्यप्रदेश प्रोफेशलन एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा केवल लिखित परीक्षा ली जावेगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के पृथक-पृथक प्रश्नो पत्रो हेतु 100 **प्रश्नों, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का (कुल** 100 **अंक) व दो घंटे की**

समयावधि का प्रश्न-पत्र हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में होगा। प्रश्न-पत्र के विस्तृत पाठ्यक्रम हेतु नियम पुस्तिका का अध्याय-2 देखें।

1.7 प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची :-

मण्डल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों, शैक्षणिक अहर्ता पर प्राप्त अंको , अनुभव के अंको एवं साक्षात्कार (जिन पदों के लिए लिया जाना है) के आधार पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रेणीवार/संवर्गवार पदों की संख्या के अनुसार मण्डल द्वारा प्रावीण्य व प्रतीक्षा सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

1.8 पारस्परिक वरीयता :

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची निर्धारित होगी, परन्तु दो व्यक्तियों के प्राप्तांक समान होने पर आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

1.9 सत्यापन/परीक्षण के समय आवश्यक प्रमाण-पत्रों का विवरण :-

1.9.1 स्थाई निवासी प्रमाण-पत्र :-

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में नायब तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र धारक होना चाहिए।

1.9.2 जाति प्रमाण-पत्र :-

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के पास अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।

1.9.3 विकलांग प्रमाण-पत्र :-

विभाग के पत्र स्था.वि.10696/2018 भोपाल, दिनांक 08/02/2018 अनुसार संघ के सेवानियम की कंडिका 8(ब) अनुसार मात्र विकलांग के लिये संघ में नियुक्ति के लिये आरक्षण लिपिक श्रेणी के पदों में तीन प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगें। सैनिकों के लिए संघ के सेवानियम में आरक्षण का प्रावधान नही है । **संघ द्वारा विज्ञप्ति में प्रेषित पदों में कोई भी पद लिपिक श्रेणी का नही है ।**

1.10 दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों का परीक्षण व चरित्र सत्यापन :

लिखित परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा जारी प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा चयन/ नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व समस्त मूल दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों आदि का सत्यापन/परीक्षण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

विभाग द्वारा चाहे गए समस्त प्रपत्र/दस्तावेज/प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप अनुसार अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति/सत्यापन/परीक्षण के समय संबंधित विभागों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

1.11 अभ्यर्थिता/चयन के संबंध में निर्हर्ताएँ/जानकारी :-

(क) **पररूपधारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपधारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जायेंगे।**

(ख) **महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।**

(ग) **कोई भी उम्मीदवार जिसके विरूद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अथवा जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोषी ठहराया गया हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।**

(घ) **किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।**

(ड) **शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य न पाया जाये।**

(च) **फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो।**

(छ) **कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक जन्म** 26 **जनवरी** 2001 **को या उसके पश्चात्, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।**

1.12 नियुक्ति की शर्तें :

चयनित अभ्यर्थियों पर संबंधित विभाग के विभागीय नियम व नियुक्ति की शर्तें लागू होगी, जिनका उन्हें पालन करना होगा। नियुक्ति के पूर्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा तथा नियुक्ति के समय विभाग के नियमानुसार अनुबंध-पत्र का निष्पादन किया जावेगा।

1.13 यात्रा भत्ता का भुगतान :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ-6-1/2002/**आ.प्र./एक, दिनांक** 19.09.2002 **के प्रावधान अनुसार म.प्र. के आवेदको को अनुसूचित** जाति, **अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने पर विभाग द्वारा यात्रा भत्ता का भुगतान किया जायेगा।**

1.14 न्यायिक क्षेत्राधिकार :-

इन विभागीय नियमों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जवाबदेह संबंधित विभाग होगा तथा इसका न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर तक सीमित होगा।

अध्याय-2

प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

2.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। **अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभॉति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।**

(ii) **आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।**

(iii) **अभ्यर्थी** एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिंहित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

(iv) **उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।**

(v) **अभ्यथी के परीक्षा केन्द्र/तिथि परिवर्तन के आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे ।**

2.2 (i) <u>आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये</u> ।

(ii) आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

(vi) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर **अभ्यर्थी** की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.3 **परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-**

(i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।

(ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु ।)

(iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य, यु.ए.डी.आई.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।

2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone,Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णत: वर्जित है।

2.5 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :-

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये तथा मध्यप्रदेश का वास्तविक (मूल) निवासी हो ।

(ख) नेपाल की प्रजा होना चाहीये ।

2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंतत: जारी कर दिया जाए।

2.6 **मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-**

(i) **अभ्यर्थी** की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 01 **जुलाई** 2017 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) अध्याय 01 की कण्डिका 1.5 विभागीय नियम अनुसार ।

3. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।

2.7 **मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :-**

(i) विभागीय नियम अध्याय 1 की कण्डिका 1.5 के अनुसार ।

2.8 (अ) मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

विभाग के पत्र स्था.वि.10696/2018 **भोपाल**, **दिनांक 08/02/2018 अनुसार संघ के सेवानियम की कंडिका 8(ब) अनुसार मात्र विकलांग के लिये संघ में नियुक्ति के लिये आरक्षण लिपिक श्रेणी के पदों में तीन प्रतिशत स्थान**

आरक्षित रहेगें। सैनिकों के लिए संघ के सेवानियम में आरक्षण का प्रावधान नही है । संघ द्वारा विज्ञप्ति में प्रेषित पदों में कोई भी पद लिपिक श्रेणी का नही है ।

टीप : (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(2) यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

2.8 (ब) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. 524/575/2015/आप्र/एक भोपाल, दिनांक 25 जून 2015 के आधार पर भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के नियम-5 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

'' आयु-सीमा के संबंध में विशेष उपबंध-राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वहर इन नियमों के अधीन आरक्षित हो या अनारक्षित हो, नियुक्ति के लिये प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को जो संघ के सशस्त्र बलों में लगातार कम से कम छह मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की कालावधि घटाने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उस पद या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्ति चाहता है, चिहिंत अधिकतम आयु-सीमा में तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आयु-सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है ।

2.9 **लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ :-**

विभाग के पत्र स्था.वि.10696/2018 **भोपाल**, **दिनांक 08/02/2018 अनुसार संघ के सेवानियम की कंडिका 8(ब) अनुसार मात्र विकलांग के लिये संघ में नियुक्ति के लिये आरक्षण लिपिक श्रेणी के पदों में तीन प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगें। सैनिकों के लिए संघ**

के सेवानियम में आरक्षण का प्रावधान नही है । <u>संघ द्वारा विज्ञप्ति में प्रेषित पदों में कोई भी पद लिपिक श्रेणी का नही है ।</u>

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं /2017/280/364आएक भोपाल/.प्र., दिनांक 2017 मई 31 के आधार पर लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएॅ प्रदान की जायेगी :-

(i) **यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-**

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) नि:शक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से नि:शक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. लेखन लिपिक (सहायक) या अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान की जावेगी ।

(ii) **लेखन लिपिक की सुविधा :-**

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा या अतिरिक्त समय प्रदान किया जावेगा। यदि परीक्षार्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट

(iii) **लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-**

1. परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा दिनांक से 10 दिन पूर्व प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल को लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।
2. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता/प्रश्न-पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए ।

3. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हे लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हे एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी ।

2.10 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

नोट- प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.11 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, **बाये हाथ के अंगूठे का निशान** तथा हस्तलिपि (काले बाल पांईट पेन से) अंकित करना होगी।

(iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.12 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.13 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती है तदनुसार विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :-

(i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।

(ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।

(iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

(iv) कोई भी विकल्प सही न हो।

(v) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

(vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

(vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।

(viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

<u>उदाहरण 01</u> :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100-2)} = 91.83$$

<u>उदाहरण 02</u> :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150-2)} = 141.89$$

<u>उदाहरण 03</u> :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200-2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

2.13 **ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजशन पद्धति** :–

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाऐं, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन

परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा । जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session $\widehat{M}_{ij}$ is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_t^g - M_q^g}{\bar{M}_{ti} - M_{iq}}(M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

$\bar{M}_t^g$ is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

$\bar{M}_{ti}$ is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq} is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

(नार्मोलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए पी.ई.बी. की वेबसाईट देखे)

2.14 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन:–

(i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर पी.ई.बी. कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

(ii) बिन्दु क्रमांक 2.13 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.15 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) **<u>अनुचित साधन</u>** <u>(Unfair means)/ यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में</u>

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा /Rough Papers/Loose Paper Slip उपयोग करना इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना ।

2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफुसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना ।

3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जानेपर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा ।

4 नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना ।

5. सक्षम अधिकारी के निर्देशो की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना ।

6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।

7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना,धमकाना या शारीरिक चोट पहुॅचाना ।

8. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है ।

9. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

यूएफएम प्रकरणो में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे । उपरोक्त में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी ।

(ब) <u>पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबध में</u>

1.अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है । ऐसे में अभ्यर्थी में विरूद्व यूएफएमप प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी

जावेगी । ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

2. विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते है, तो विभाग उक्त अभ्यर्थीकी नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर पी.ई.बी. को अवगत कराया जायेगा ।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है ।

2.16 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

(iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाऐंगी ।

(v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाऐं भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाऐंगी ।

2.17 परीक्षा परिणाम :-

(i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तदानुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.18 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।

(ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में पी.ई.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा ।

(iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. सी 3-14/2015/3/एक भोपाल, दिनांक 06 जनवरी 2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा ऑनलाईन आयोजित की जा रही परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट लिए जाते है । उक्त परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम जारी करने के उपरांत परिणाम की प्रति के साथ चयनित अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जानकारी भी विभागो को दी जाती है ।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों की बायोमैट्रिक जानकारी विभागों को प्राप्त होने पर संबंधित विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि भर्ती देने के पूर्व अभ्यर्थी का बायोमैट्रिक परीक्षण कर मैच करा ले जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जिस अभ्यर्थी ने परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दी थी वही व्यक्ति भर्ती के लिए उपस्थिति दे रहा है, इससे पररूपधारण की समस्या का समाधान हो सकेगा। इसे अधिक प्रमाणित करने के लिए यह भी निर्देशित किया गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराने के उपरांत तीन माह में कभी भी रेंडम आधार पर पुन: बायोमैट्रिक जांच कर ली जाए ।

2.19 **न्यायिक क्षेत्राधिकार** :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

<u>खण्ड-ब</u>

2.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र **प्रारूप-02** अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी/दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ्ड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

2.21 ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र **प्रारूप-02** अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(vi) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।

(vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अत: ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णत: स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2.22 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

(i) पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।

(ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने के पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(iv) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क धारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.23 <u>ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :</u>

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(v) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक अनिवार्यत: अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है । इसके उपयोग से

1. आवेदन पत्र में आधार नम्बर की प्रविष्टि करना ।
2. उपरोक्त आधार नम्बर द्वारा M.P.S.R.D.H (मध्यप्रदेश स्टेट रेजिडेंट डेटा हब) की e-KYC सुविधा का लाभ लेते हुए आवेदन पत्र में उचित प्रविष्टी करना इस हेतु एम.पी.ऑनलाईन अथवा एप्लीकेशन फार्म फेस्टीलेशन एजेंसी द्वारा M.P.S.R.D.H. तथा स्वयं के मध्य एक वेब सर्विस एप्लीकेशन तैयार की जाकर एप्लीकेशन पोर्टल में अनुप्रयुक्त किया जाना है। इस हेतु आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. भेजा जायेगा जिससे e-KYC सत्यापन हो सके ।
3. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का आधार इनेबिल्ड बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा । इस हेतु पी.ई.बी. तथा M.P.S.R.D.H. के मध्यक एक एम ओ.यू. संपादित किया गया है जिसके द्वारा अभ्यर्थी का आधार इनेबिल्ड सत्यापन रजिस्टेशन डेस्क पर स्वत: हो सकेगा ।
4. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में **उपलब्ध** कराया जायेगा । विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।

(vi) पहचान पत्र के मीनू मे पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया ।

2.24 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।

(iii) सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नही होगा।

(iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.25 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

(i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर

Vyapam लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/ **Instructions** तथा परीक्षा **नियम/Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व पुन: पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

2.26 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

(i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.27 इंटरनेट बैकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.28 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2.29 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगी:-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेंष राशि का भुगतान करना होगा।

(vi) **संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।**

(vii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(viii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(ix) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.30 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा आधार नम्बर, नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा "हॉ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प "हॉ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

(iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुन: शुल्क का भुगतान करना होगा।

(iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.31 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा ।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2.32 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.33 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2.34 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे ।

2.35 **बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया (केवल अकार्यपालिक पदो हेतु लागू) : -**

संघ के उप प्रबंधक एवं लेखाअधिकारी पद कार्यपालिक द्वितीय श्रेणी के पद है । सहायक लेखाधिकारी, सहायक प्रबंधक , क्षेत्र सहायक एवं क्षेत्र सहायक (संविदा) तृतीय श्रेणी के पद अकार्यपालिक है । बैगा, सहारिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्ति दिये जाने के संबंध में पत्र क्रमांक स्था.वि./ 10696 भोपाल, दिनांक 08/02/2018 के अनुसार विपणन संघ सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत होकर स्वायत्त संस्था है, जिसकी उप विधि एवं सेवा नियम सहकारिता विभाग द्वारा पंजिकृत है । बैगा, सहानिया एवं भारिया जातियों को शासन में दिनांक 11.01.2010 से सीधे भर्ती किये जाने का नियम प्रतिपादित किया गया, जबकि विपणन संघ का सेवा नियम पूर्व से ही लागू है जिसमें बैगा, सहारिया एवं भारिया जाति के अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती किये जाने का प्रावधान नहीं है । अत: आदिम जनजाति, (बैगा, सहारिया एवं भारिया) के अभ्यार्थयों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आनलाईन आवेदन करें। (ऐसी स्थित में नियम पुस्तिका की बैगा,सहारिया एवं भारिया से संबंधित सभी कण्डिकायें विलोपित मान्य होगी ।)

2.36 **पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन**

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात **पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन** का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.37 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है। साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत पी.ई.बी. की E-mail ID Complaint.peb@mp.gov.in पर भेज सकते है ।

खण्ड-स

2.38 **आवेदन पत्र भरने की समयावधि**

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
26-03-2018	09-04-2018	**15**	26-03-2018	14-04-2018	20

3.39 **आनलाईन परीक्षा का विवरण**

स.क्रं.	पाली	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	**पोस्ट कोड 01, 03, 05 एवं 06 हेतु**	05-05-2018 एवं 06-05-2018	02 **घंटे**	**प्रात**: 09:00 **से** 11:00 **तक**	**100**
2	**पोस्ट कोड 02 एवं 04 हेतु**			**दोपहर** 02:00 **से** 04:00 **तक**	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा।

2.40 (i) **परीक्षा शुल्क :-**

स. क्र.	**प्रश्नपत्रों की संख्या**	**अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये**	**अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)**	**नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)**	**आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क**
01.	**एक**	500/- (प्रति प्रश्न पत्र)	250/- (प्रति प्रश्न पत्र)	250/- (प्रति प्रश्न पत्र)	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 70/- कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 40/-

(ii) **संशोधन किये जाने पर देय शुल्क**

स.क्र.	**प्रश्नपत्रों की संख्या**	**आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क**	**आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क**
01.	**एक**	20/-	50/-

2.41 परीक्षा शहर :-

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी । मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अत: परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रो की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है ।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र			
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

2.42

(i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2:00 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।

(ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यथी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा । अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।

(iv) पी.ई.बी की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।

(v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।

(vii) पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।

(viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते है । अत: आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यकरूप से संभाल कर रखे जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।

(x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट मे किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधन पी.ई.बी. के पास सुरक्षित रहेगा ।

(xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है ।

(xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धातर तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।

(xiii) ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट मूल आई डी के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी ।

(xii) परीक्षा में निर्धारित रिपोटिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

अध्याय - 04
पाठ्यक्रम

पोस्ट कोड- 01,03,05 एवं 06 हेतु प्रश्नपत्र का विवरण :

स.क्र.	प्रश्न पत्र की कुल संख्या	प्रश्न पत्र का विवरण	कुल अंक
(1)	(2)	(3)	(6)
1.	01	**(क)** सामान्य विज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित,	50
		(ख) सामान्य ज्ञान एवं अभिरूचि सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान सामान्य तार्किक योग्यता सामान्य प्रबंधन	50
2.	-	विभागीय स्तर पर साक्षात्कार (पोस्ट कोड-01 हेतु)	25

पोस्ट कोड- 02 एवं 04 हेतु प्रश्नपत्र का विवरण :

स.क्र.	प्रश्न पत्र की कुल संख्या	प्रश्न पत्र का विवरण	कुल अंक
(1)	(2)	(3)	(6)
1.	01	**(अ)** सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योगयता , सामान्य विज्ञान, सामान्य कम्प्युटर ज्ञान	50
		(ब) संबंधित विषय	50
2.	-	विभागीय स्तर पर साक्षात्कार (पोस्ट कोड-02 हेतु)	25

नोटः-. उक्त पदों के लिये दिऐ गए विवरण अनुसार द्वितीय चरण का कार्य (दस्तावेजो की जांच, बोनस अंक प्रदान करने एवं साक्षात्कार लेने का कार्य) संबंधित विभागीय स्तर पर किया जावेगा ।

प्रारूप-1

प्रश्नों/आदर्श उत्तरो पर आपप्ति हेतु अभ्यावेदन

(देखें नियम 2.12 एवं 2.13)

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
परीक्षा की दिनांक	
परीक्षा का समय/शिफ्ट	
परीक्षा का शहर	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	

पी.ई.बी. की वेबसाईट पर प्रदर्शित उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र में निम्न प्रश्न/उत्तर निम्नलिखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स. क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	प्रश्न में त्रुटि का विवरण	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर	प्रश्न/उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है ।

आवेदक के हस्ताक्षर..

आवेदक का नाम एवं पता ....

....

....

दूरभाष क्रमांक..

दिनांक...

Professional Examination Board
प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

<u>Predefined Template</u>

फोटो / Photo

4" x 5" सेमी फोटो
यहाँ चिपकाये
4" x 5" cm photo paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

<u>निर्देश / Instruction)हस्ताक्षर / Signature)</u>

- (i)अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों e; vFkok vxzth d; y/kq gLrk{kj ekU; ugh gksxk A (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii)signature in capital letter or Short is not allowed(iii) more than 1 signature will be invalid

<u>निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)</u>

फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिएतथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए

- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

<u>स्व-घोषणा / Self-declaration:</u>

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वाराआवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर परझूठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसारसंतोषजनकनहींपाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारीरद्दकी जा सकती हैं।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

<u>स्व-घोषणा / Self-declaration</u>

(ऊपर दिए गए घोषणा कोबॉक्स-3 के अंदरअपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writingin box-3, the declaration given above)

प्रारूप-3

भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं के बैंक खाते का विवरण

1. परीक्षा का नाम : ....
2. परीक्षा की तिथि/पॉली/समय : ....
3. परीक्षा केन्द्र का नाम : ....
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) : ....
   (जैसा बैंक खाते में है)
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) : ....
6. परीक्षार्थी का रोल न. : ....
7. बैंक का नाम : ....
8. बैंक शाखा का नाम : ....
9. बैंक का IFS Code : ....
10. बैंक खाता क्रमांक : ....
11. परीक्षार्थी गृह जिला : ....
12. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी : ....
13. यात्रा का प्रकार : ....
14. यात्रा व्यय की राशि : ....
15. पत्र व्यवहार का पता : ....
16. ई-मेल : ....
17. फोन न. : ....

संलग्न :-

1. बैक पास बुक की छायाप्रति (प्रथम पृष्ठ) ।
2. यात्रा के दौरान उपयोग किये गए टिकीट (मूल प्रति) ।
3. जाति/विकलांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।

दिनांक......................................

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता

....

....

....